न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी श्री उम्मेद सिह रतनू आर.ए.एस.
दावा अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट.
प्रकरण संख्या 66/2019

ऐताशे राजे पत्नी महेश कुमार सिहाग पुत्री श्री रविन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ढाबा हाल मकान नं. 94/334 मानसरोवर जयपुर तहसील व जिला जयपुर (राज.)

प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार (राजस्व)संगरिया

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. बाबत नाम दुरूस्ती

उक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की तरफ से जरिऐ अधिवक्ता उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि प्रार्थीया व अप्रार्थी के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित है। प्रार्थीया के नाम से चक नं. 4 बीजीपी के खाता संख्या 59/52 में खाता एकल खाता श्रुति उर्फ रमन में प्रार्थीया के नाम से 0.380 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीया की शादी दिनांक 26.01.2016 को महेश कुमार सिहाग के साथ हो गई थी। शादी के बाद प्रार्थीया ने अपना नाम श्रुति उर्फ रमन से बदल कर ऐताशे राजे पत्नी महेश कुमार सिहाग पुत्री रविन्द्र कुमार रख लिया है जिसका प्रकाशन गजट मे करवा दिया था। गजट की फोटो कॉपी सलंग्न प्रार्थना पत्र है इसलिए प्रार्थीया प्रार्थीया जमाबन्दी में अपना नाम श्रुति उर्फ रमन जो गलत है जो कतई सही नही है को दुरूस्त करवाना चाहती है इसलिए प्रार्थीया का नाम श्रुति उर्फ रमन पुत्री रविन्द्र कुमार को दुरूस्त कर उसके स्थान पर ऐताशे राजे पत्नी महेश कुमार सिहाग पुत्री श्री रविन्द्र कुमार किये जाने योग्य है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी से पिछले सप्ताह निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम ऐताश राजे पत्नी महेश कुमार सिहाग पुत्री श्री रविन्द्र कुमार के स्थान पर श्रुति उर्फ रमन पुत्री रविन्द्र कुमार के स्थान पर ऐताशे राजे पत्नी महेश कुमार सिहाग पुत्री श्री रविन्द्र कुमार दर्ज करने से इन्कार कर दिया। बस यही प्रार्थना पत्र कारण है। प्रार्थीया का नाम चक नं. 4 बीजीपी की जमाबन्दी के आलावा अन्य सभी प्रमाण पत्रों जैसे पहचान पत्र आधार कार्ड व राशन कार्ड में ऐताशे राजे पत्नी महेश कुमार सिहाग पुत्री श्री रविन्द्र कुमार दर्ज है जबकि चक नं. 4 बीजीपी की जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम श्रुति उर्फ रमन पुत्री रविन्द्र कुमार दर्ज होने से भारी परेशानी होती है। प्रार्थीया का जमाबन्दी चक नं. 4 बीजीपी के राजस्व रिकॉर्ड का नाम श्रुति उर्फ रमन पुत्री रविन्द्र कुमार को दुरूस्त कर उसके स्थान पर प्रार्थीया का नाम ऐताशे राजे पत्नी महेश कुमार सिहाग पुत्री श्री रविन्द्र कुमार नहीं

किया गया तो प्रार्थीया को भविष्य मे कभी भी ना पूरा होने वाला नुकसान का अन्देशा बना रहेगा, जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में नहीं आंकी जा सकती है। प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष मे है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर माननीय न्यायालय में पेश है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 एलआरएक्ल पेश कर दर्ज है कि चक नं. 4 बीजीपी के खाता संख्या 59/52 की जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम श्रुति उर्फ रमन पुत्री रविन्द्र कुमार को दुरूस्त कर उसके स्थान पर प्रार्थीया का नाम ऐताशे राजे पत्नी महेश कुमार सिहाग पुत्री श्री रविन्द्र कुमार दर्ज करने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना–पत्र पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाहने के बाद उन्होने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2019/2759 दिनांक 11.07.2019 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 3 बीजीपी के खाता संख्या 76/74 मे जरिये इ.नं. 645 श्रुति उर्फ रमन पुत्री रविन्द्र कुमार का नाम बदल कर ऐताशे राजे उर्फ श्रुति उर्फ रमन दर्ज है अन्य दस्तावेज भी अब ऐताशे राजे है की रिपोर्ट भिजवाई है। दौराने बहस वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार करने का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन तथा तहसीलदार संगरिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से प्रार्थना पत्र प्रार्थीया पुर्णतः सिद्व पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक नं. 4 बीजीपी के खाता संख्या 59/52 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में प्रार्थीया का नाम श्रुति उर्फ रमन पुत्री रविन्द्र कुमार के स्थान पर ऐताशे राजे उर्फ श्रुति उर्फ रमन पत्नी महेश कुमार सिहाग पुत्री श्री रविन्द्र कुमार दर्ज किया जावे तथा इसी मुताबिक जमाबन्दी में दुरूस्ती की जावे। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक24.07.2019 .को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ

क्रमांक : रीडर/19/ दिनांक :–

तहसीलदार (राजस्व)
संगरिया

विषय :– प्रार्थना पत्र संख्या 66/2019 अनवान ऐताशे राजे बनाम तहसीलदार राजस्व संगरिया में पारित निर्णय की पालना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना–पत्र संख्या 66/2019 अनवान ऐताशे राजे बनाम तहसीलदार राजस्व संगरिया में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2019 की प्रति आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

अतः आप उक्त निर्णय की नियमानुसार पालना कर रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः निर्णय की प्रति

(उम्मेद सिह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया